



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2012/फाल्गुन 29, 1933 .

No. 66]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2012/PHALGUNA 29, 1933

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

सं. 4-90/2011-आयु. (पी. जी. रेगु.)—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) संशोधन विनियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा को विनियमित करने के क्रम में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है;
(ख) "परिषद्" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है;
(ग) "मान्यताप्राप्त संस्थान" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) एवं (ड.क) के अधीन यथापरिभाषित कोई अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।
- उद्देश्य और प्रयोजन: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना, और ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो सुयोग्य और दक्ष अध्यापक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, प्रसूति तन्त्र एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (स्त्री रोग और प्रसूति तन्त्र) औषध निर्माण दक्ष/अनुसंधानकर्ता और आयुर्वेद विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के उद्भूत विद्वान हों।

4. विशिष्टताएँ जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं :- निम्नलिखित विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अनुज्ञात किए जा सकेंगे-

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	आधुनिक विषय की निकटतम पारिभाषिक शब्दावली	विभाग जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि संचालित की जा सकती हैं
1	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत	आयुर्वेद संहिता एवं बेसिक प्रिंसीपल्स ऑफ आयुर्वेद	संहिता एवं मौलिक सिद्धांत
2	रचना शारीर	एनाटमी	रचना शारीर
3	क्रिया शरीर	फिजियोलोजी	क्रिया शारीर
4	द्रव्य गुण विज्ञान	मैटिरिया मेडिका एवं फार्माकोलोजी	द्रव्य गुण
5	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स	रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना
6	प्रसूति एवं स्त्री रोग	ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनेकोलाजी	प्रसूति एवं स्त्री रोग
7	कौमार भृत्य- बाल रोग	पैडियेट्रिक्स	कौमार भृत्य- बाल रोग
8	स्वस्थवृत्त एवं योग	प्रीवेन्टिव सोशल मेडिसिन एवं योग	स्वस्थवृत्त
9	काय चिकित्सा	मेडिसिन	काय चिकित्सा
10	रसायन एवं वाजीकरण	रसायन वाजीकरण	काय चिकित्सा
11	मनोविज्ञान एवं मानस रोग	साइकट्री	काय चिकित्सा
12	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	पैथोलोजी एवं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान
13	छाया एवं विकिरण विज्ञान	एमेजिंग एवं रेडियो-डायग्नोसिस	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान
14	शल्य सामान्य	जनरल सर्जरी	शल्य
15	शल्य क्षार कर्म एवं अनुशास्त्र कर्म	सर्जरी क्षार कर्म एवं पैरा सर्जिकल उपाय	शल्य
16	संज्ञा हरण	ऐनेस्थिसियोलोजी	शल्य
17	अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग	आर्थोपीडिक्स	शल्य
18	नेत्र रोग	ऑफ्थैलमोलोजी	शालाक्य
19	कर्ण, नासा, कंठ एवं शिरो रोग	ई.एन.टी. एवं हैड	शालाक्य
20	दंत एवं मुख रोग	डेंटिस्ट्री एवं ओरल डिजीज	शालाक्य
21	पंचकर्म	पंचकर्म	पंचकर्म
22	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	टॉक्सीकोलोजी एवं फोरेन्सिक मेडिसिन	अगद तंत्र

5. स्नातकोत्तर डिग्री का नामकरण अपनी-अपनी विशेषज्ञता में निम्नवत् होगा-

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संक्षिप्त रूप
1	आयुर्वेद वाचस्पति - आयुर्वेद सिद्धांत	एम. डी. आयुर्वेद (संहिता एवं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत)
2	आयुर्वेद वाचस्पति - रचना शारीर	एम. डी. आयुर्वेद (एनाटमी)
3	आयुर्वेद वाचस्पति - क्रिया शारीर	एम. डी. आयुर्वेद (फिजियोलोजी)
4	आयुर्वेद वाचस्पति - द्रव्य गुण विज्ञान	एम. डी. आयुर्वेद (मैटिरिया मेडिका एण्ड फार्माकोलोजी)
5	आयुर्वेद वाचस्पति - रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	एम. डी. आयुर्वेद (फार्मास्यूटिकल्स)
6	आयुर्वेद वाचस्पति - प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	एम. एस. आयुर्वेद (ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलाजी)
7	आयुर्वेद वाचस्पति - कौमार भृत्य- बाल रोग	एम. डी. आयुर्वेद (पैडियेट्रिक्स)
8	आयुर्वेद वाचस्पति - काय चिकित्सा	एम. डी. आयुर्वेद (मेडिसिन)
9	आयुर्वेद वाचस्पति - स्वस्थवृत्त एवं योग	एम. डी. आयुर्वेद (प्रीवेन्टिव सोशल मेडिसिन एण्ड योग)

10	आयुर्वेद वाचस्पति - रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	एम. डी. आयुर्वेद (पैथोलोजी एवं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर)
11	आयुर्वेद धन्वन्तरि - शल्य - सामान्य	एम. एस. आयुर्वेद (जनरल सर्जरी)
12	आयुर्वेद धन्वन्तरि - क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म	एम. एस. आयुर्वेद (सर्जरी क्षार कर्म एवं पैरा सर्जिकल मेजर)
13	आयुर्वेद धन्वन्तरि - शालाक्य - नेत्र रोग	एम. एस. आयुर्वेद (ऑफ्थैलमोलोजी)
14	आयुर्वेद धन्वन्तरि - शालाक्य- शिरो-नासा-कर्ण एवं कंठ रोग	एम. एस. आयुर्वेद (ई.एन.टी. एवं हेड)
15	आयुर्वेद धन्वन्तरि -शालाक्य - दंत एवं मुख रोग	एम. एस. आयुर्वेद (डेंटिस्ट्री एवं ओरल डिजीज)
16	आयुर्वेद वाचस्पति - मनोविज्ञान एवं मानस रोग	एम. डी. आयुर्वेद (साइकट्री)
17	आयुर्वेद वाचस्पति - पंचकर्म	एम. डी. आयुर्वेद (पंचकर्म)
18	आयुर्वेद वाचस्पति - अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	एम. डी. आयुर्वेद (टॉक्सिकोलॉजी एवं फ़ोरेन्सिक मेडिसिन)
19	आयुर्वेद वाचस्पति - संज्ञा हरण	एम. डी. आयुर्वेद (ऐनेस्थिसियोलॉजी)
20	आयुर्वेद वाचस्पति - छाया एवं विकिरण विज्ञान	एम. डी. आयुर्वेद (एमेजिंग एवं रेडियो-डासग्नोसिस)
21	आयुर्वेद धन्वन्तरि - अस्थि संधि एवं मर्मगत रोग	एम. एस. आयुर्वेद (अस्थि संधि एवं मर्म)
22	आयुर्वेद वाचस्पति - रसायन एवं वाजीकरण	एम. डी. आयुर्वेद (रसायन एवं वाजीकरण)

पूर्व नामावली से प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता धारक संबंधित विभाग में नियुक्त किये जा सकेंगे। उदाहरणतः क्रिया शारीर-विभाग में क्रिया शारीर (दोष धातु मल विज्ञान) के स्नातकोत्तर अर्हता धारक क्रिया शारीर में एवं क्रिया शारीर के स्नातकोत्तर अर्हता धारक क्रिया शारीर अथवा रचना शारीर में शिक्षण अनुभव के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। इसी प्रकार नव विकसित विशिष्टता में स्नातकोत्तर अर्हता धारक विनियमों के प्रावधान '4' के अन्तर्गत उल्लिखित उनके मूल विभाग में नियुक्त हेतु विचारणीय होंगे।

6. प्रवेश की पद्धति-

- (1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सीय संस्था से डिग्री लेने वाला कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- (2) विश्वविद्यालय या सम्बन्धित सरकार द्वारा गठित की जाने वाली कोई अन्य समिति प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करेगी।
- (3) अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतया लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित 100 अंकों के कुल सूचकांक में से प्राप्त अंतिम वरीयता सूचकांक के आधार पर किया जायेगा।
- (4) बहुविकल्पीय प्रश्न की 100 अंकों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी।
- (5) प्रवेश के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम पात्रता अंक कुल सूचकांक के पचास प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा नियमित सरकारी सेवा के अभ्यर्थियों के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।
- (6) विदेशी नागरिक के अतिरिक्त प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अंकों का प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा।
- (7) सभी वर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार नीति के अनुसार लागू होगा।
- (8) विषय परिवर्तन प्रवेश की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध रिक्ति और मार्गदर्शक की उपलब्धता के अधीन अनुज्ञेय होगा।

7. **अध्ययन की अवधि और उपस्थिति—(1)** प्रवेश के पश्चात् छात्र को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा।
- (2) परीक्षा देने की पात्रता के लिए कुल व्याख्यानों, क्रियात्मक और क्लीनिकल ट्यूटोरियल या कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत आवश्यक होगी।
- (3) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अस्पताल में उपस्थिति और अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा, जो उसे समनुदेशित किए जाएं।
- (4) क्लीनिकल विषयों के छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान उनके संबंधित विभागों में अवासी (रेजिडेन्ट) चिकित्सक के रूप में कर्तव्यों को करना होगा तथा नॉन क्लीनिकल विषयों के छात्रों को उनके सम्बन्धित विभागों जैसे— फार्मैसी, वनैषधि उद्यान, प्रयोगशाला के कर्तव्यों को करना होगा।
- (5) छात्रों को शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यानों, प्रदर्शनों, विचार, गोष्ठियों, अध्ययन दौरो और ऐसे अन्य क्रियाकलापों में उपस्थित होना आवश्यक होगा।
8. **प्रशिक्षण की पद्धति:** (1) संबंधित विशेषज्ञता में तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन के साथ शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- (2) गहन प्रायोगिक तथा स्वप्रशिक्षण को महत्व दिया जाएगा।
- (3) छात्रों को संबंधित क्षेत्र में सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए शोध तकनीक और पद्धतियों के ज्ञान को प्राप्त करना होगा।
- (4) क्लीनिकल विषयों के विद्यार्थियों को रोगियों के स्वतंत्र रूप से उपचार, व्यवस्था और आकस्मिकताओं को निपटाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
- (5) छात्रों को पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान अध्यापन तकनीक और अनुसंधान पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा स्नातक छात्रों या संबंधित विषय के विशिखानुप्रवेशीय छात्रों के अध्ययन में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।
- (6) प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में, छात्रों को आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के प्रयोगात्मक पक्षों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (7) क्लीनिकल प्रशिक्षण में छात्रों को एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
- (8) शल्य, शालाक्य और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञताओं में छात्र को जाँच प्रक्रियाओं, तकनीकों और शल्य क्रिया की प्रक्रियाओं के निष्पादन और संबंधित विशेषज्ञता में प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
9. **शोध प्रबंध—(1)** शोध प्रबंध का शीर्षक, विषय संक्षेप एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विनियमानुसार संस्थान द्वारा गठित आचार नीति समिति के अनुमोदन के साथ विश्वविद्यालय को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) यदि छात्र उप विनियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अवधि में शोध प्रबंध का शीर्षक तथा विषय संक्षेप प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसकी अंतिम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि छः माह या विश्वविद्यालय में विषय संक्षेप के प्रस्तुत करने के समय के अनुसार उससे अधिक बढ़ा दी जायेगी।

- (3) प्रस्तावित कार्य के विषय संक्षेप द्वारा यह संकेत मिलना चाहिये कि प्रस्तावित कार्य की विषय वस्तु के साथ, विभाग का नाम और मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक व सह-मार्गदर्शक, यदि कोई हो, के नाम और पदनाम के साथ छात्र सुपरिचित है। विश्वविद्यालय द्वारा विषय संक्षेप के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् तीन माह की अनाधिक अवधि में विषय संक्षेप अनुमोदित किए जाने चाहिये।
- (4) शीर्षक का अनुमोदन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संवीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।
- (5) विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध के अनुमोदित विषय संक्षेप को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना चाहिये।
- (6) प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय आयुर्वेद के विकास में अनुसंधान की ओर अभिमुख करने वाला, क्रियात्मक, नवीनता व नवनिर्माण में सहायक होगा। शोध प्रबंध का विषय विशेषज्ञता की विषय वस्तु से सम्बन्धित होना चाहिए।
- (7) विश्वविद्यालय की संवीक्षा समिति द्वारा एक बार शोध प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित हो जाने के पश्चात् छात्र को शीर्षक या कार्य की प्रस्तावित विषयवस्तु का परिवर्तन विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना अनुज्ञात नहीं होगा।
- (8) किसी छात्र को अंतिम वर्ष के छः माह से पहले शोध प्रबंध जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, तथापि छात्र तीन वर्ष पूर्ण करने के लिए शोध प्रबंध को जमा करने के पश्चात् संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।
- (9) शोध प्रबंध में छात्र द्वारा सम्पादित अनुसंधान, जो उसके द्वारा चयनित समस्या और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापक के मार्गदर्शन में पूरा हुआ, की पद्धतियां और आंकड़े अंतर्विष्ट होंगे।
- (10) शोध प्रबंध में साहित्य का समालोचनात्मक पुनरीक्षण, कार्य पद्धति, अनुसंधान के परिणाम, अध्ययन के अनुसंधान के परिणाम के आधार पर विवेचन, सारांश निष्कर्ष और शोध प्रबंध में उद्धृत संदर्भों का, जो कि प्रकाशन हेतु अनुकूल होने चाहिये, समावेश होगा।
- (11) शोध प्रबंध चालीस हजार शब्दों से कम का नहीं होगा।
- (12) शोध प्रबंध के अंत में पंद्रह सौ से अनधिक का सारांश और एक हजार शब्दों से अनधिक का निष्कर्ष होगा।
- (13) मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव रखने वाला अथवा तीन वर्ष का सह-मार्गदर्शक का अनुभव रखने वाला आचार्य या उपाचार्य/सह-आचार्य या प्राध्यापक/सहायक आचार्य की हैसियत का व्यक्ति होगा।
- (14) शोध प्रबंध की पांच सजिल्द प्रतियां पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक के प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतिम परीक्षा से चार माह पूर्व पहुंच जानी चाहिए।
- (15) शोध प्रबंध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त दो बाह्य और एक आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (16) शोध प्रबंध उप विनियम (17) के अधीन नियुक्त परीक्षा के अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा और एक बाह्य परीक्षक द्वारा अनुमोदन किए जाने की दशा में शोध प्रबंध तीसरे परीक्षक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(17) यदि शोध प्रबंध दो बाह्य परीक्षकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणियों सहित छात्र को वापिस कर दिया जाएगा और छात्र परीक्षकों की रिपोर्ट के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को पुनः छः माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा।

(18) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से शोध प्रबंध के अनुमोदित होने पर ही छात्र को स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

10. परीक्षा और उसका निर्धारण- (1) स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम की निम्नलिखित रीति से दो परीक्षाएं होंगी:-

क. प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी:

ख. अंतिम परीक्षा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के पश्चात् तीन शैक्षणिक वर्षों के पूर्ण होने पर होगी:

ग. परीक्षा साधारणतया प्रत्येक वर्ष के जून या जुलाई और नवंबर या दिसंबर मास में आयोजित की जायेगी:

घ. परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना होगा:

ड. छात्र को उत्तीर्ण घोषित होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयों में पृथक पृथक प्राप्त करने होंगे;

च. यदि कोई छात्र प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम परीक्षा में भाग लेने से पूर्व उसे उत्तीर्ण करना होगा;

छ. यदि छात्र अंतिम परीक्षा के सिद्धांत या प्रयोगात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो उससे उत्तरवर्ती परीक्षा में भाग लेने से पहले नया शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।

ज. स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध के स्वीकार होने के पश्चात् और छात्र के अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रदत्त की जाएगी।

(2) परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्लिनिकल कुशाग्रता, योग्यता और विशेषज्ञता के प्रायोगिक पक्ष में कार्यकारी ज्ञान और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता की जांच करना होगा।

(3) चिकित्सीय परीक्षा का लक्ष्य छात्र की क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा ताकि विशेषज्ञता से संबंधित आयुर्वेद और वैज्ञानिक साहित्य के साथ उसकी सुविज्ञता की परख की जा सके।

(4) प्रायोगिक परीक्षा के मौखिक परीक्षण भाग में विशेषज्ञता के किसी भी पक्ष पर चर्चा का समावेश होगा।

11. परीक्षा के विषय: (1) प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रारंभिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में संचालित की जाएगी:-

(क) प्रथम प्रश्न पत्र- खण्ड 'अ' अनुसंधान पद्धति।

खण्ड 'ब' जैव/चिकित्सीय सांख्यिकी।

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र- खण्ड 'अ' सम्बन्धित विषयों सम्बन्धी मौखिक सिद्धान्त के प्रयोगात्मक पक्ष।

खण्ड 'ब' सम्बन्धित विषय ।

(2) छात्र को उसके द्वारा चयनित विशेषज्ञता के लिए सम्बन्धित विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण लेना होगा तथा अन्तिम दो वर्षों के अध्ययन के अंतर्गत किए गए कार्य का मासानुसार रिकार्ड रखना होगा:-

- (i) संबंधित विशेषज्ञता के साहित्य का अध्ययन,
- (ii) क्लीनिकल विषयों के छात्रों के लिये अस्पताल में नियमित क्लीनिकल प्रशिक्षण,
- (iii) नॉन क्लीनिकल विषयों के छात्रों के लिये विभाग में किए गए अनुसंधान कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण,
- (iv) विभिन्न विचार गोष्ठियों और वाद विवाद में सक्रिय भागीदारी,
- (v) शोध प्रबंध के विषय और संक्षिप्त को अंतिम रूप देना,
- (vi) प्रथम वर्ष के दौरान उपर्युक्त बिन्दुओं पर किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रारंभिक परीक्षा के समय किया जाएगा,

(3) अंतिम परीक्षा (क) शोध प्रबंध; (ख) लिखित प्रश्न पत्र; और (ग) क्लीनिकल/प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षण, जैसी भी स्थिति हो, होंगे।

(4) प्रत्येक विशेषज्ञता में चार सैद्धांतिक तथा एक प्रयोगात्मक परीक्षा अथवा विशेष अध्ययन हेतु छात्र द्वारा चयनित उप विशेषज्ञता की सम्बन्धित विशेषज्ञता अथवा समूह में क्लीनिकल तथा मौखिक परीक्षा होगी।

(5) छात्र को उसके शोध प्रबन्ध पर आधारित उसके शोध कार्य के आधार पर कम से कम एक शोध पत्र एक जर्नल में प्रकाशित/प्रकाशन हेतु स्वीकृत कराना होगा तथा क्षेत्रीय स्तर के सेमिनार में एक शोध-पत्र का प्रस्तुतीकरण करना होगा।

12.परीक्षक की नियुक्ति - प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा की प्रणाली प्रयोगात्मक, चिकित्सीय और मौखिक रीति से होगी। अंतिम परीक्षा दो परीक्षकों (सेवानिवृत्त/सेवारत) जिनमें से एक बाह्य परीक्षक होगा, के द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी। परीक्षक कम से कम उपाचार्य स्तर का अथवा कम से कम आठ वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षण का अध्यापन अनुभव रखने वाला होना चाहिये।

13.स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं- (1) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र केन्द्रीय परिषद् द्वारा पूर्व स्नातक प्रशिक्षण के लिए विहित सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(2) केंद्र केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आयुर्वेद के मूल विज्ञानों में और अन्य संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

(3) केंद्र आनुवंशिक विभागों की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

- (4) केन्द्र संबंधित विशेषज्ञता और विषय में प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित पर्याप्त उपकरण और अनुसंधान सुविधाएं रखेगा।
- (5) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम हेतु यथा अपेक्षित शिक्षक वर्ग के अतिरिक्त कम से कम संबंधित विषय में एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक आवश्यक होंगे। यदि उस विषय में पूर्व स्नातक स्तर पर स्वतंत्र विभाग नहीं है तो उस विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम एक आचार्य/उपाचार्य और एक प्राध्यापक होगा।
- (6) केंद्र सभी विभागों में विशेषज्ञता अनुसार पर्याप्त सुविधाओं के साथ पूर्ण सुसज्जित अस्पताल, जिसमें कम से कम एक सौ शय्याएं होंगी, रखेगा। नॉन क्लीनिकल विषयों में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम स्नातकीय मानको हेतु विनिर्दिष्ट कुल शय्याओं की संख्या के आधार पर प्रारम्भ किया जा सकेगा। परन्तु क्लीनिकल विषयों में स्नातकोत्तर के लिए छात्र:शय्या अनुपात 1:4 आवश्यक होगा।
- (7) अस्पताल में शय्याओं के अधिभोग का वार्षिक अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक होगा।
- (8) क्लीनिकल विभागों में प्रत्येक बीस शय्याओं के लिए एक रजिस्ट्रार या सीनियर रेजीडेण्ट नियुक्त होगा।
- (9) स्नातकीय संस्था जहाँ न्यूनतम 4½ /5 वर्षों का स्नातकीय शिक्षण पूर्ण न किया गया हो, ऐसी संस्था स्नातकोत्तर अनुमति हेतु आवेदन के लिये पात्र नहीं होगी।
14. स्नातकोत्तर छात्रों को सुविधाएं - राज्य में अन्य चिकित्सीय स्नातकोत्तर छात्रों को लागू दर से वृत्तिका और आकस्मिता प्रदान करेगा।
15. मार्गदर्शक छात्र अनुपात- शिक्षक छात्र अनुपात इस प्रकार होगा कि स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या का अनुपात आचार्य के लिए 1:3, उपाचार्य/सह-आचार्य के लिए 1:2 और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्राध्यापक/सहायक आचार्य के लिए 1:1 का होगा। प्रति वर्ष प्रति विषय छात्रों की अधिकतम संख्या 6 से अधिक नहीं होगी तथा यह प्रावधान वर्तमान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सीटों पर लागू नहीं होगा।
16. अनुदेशों का माध्यम- हिन्दी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी

प्रेमराज शर्मा, निबंधक-सह-सचिव
[विज्ञापन III/4/124/11/असा.]

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

No. 4-90/2011-Ay. (PG Regu.).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Education) Amendment Regulations, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government in order to regulate the Post-graduate Education of Ayurveda, hereby makes the following regulations namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Ayurveda Education) Regulations, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- In these regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;
(b) 'Council' means the Central Council of Indian Medicine;
(c) 'recognized institution' means an approved institution as defined under clause (a) & (ea) of Section 2 of the Act.
3. **Aims and objects.**- The aims of the Post-graduate degree courses shall be to provide orientation of specialties and super-specialties of Ayurveda and to produce experts and specialists who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, obstetricians and gynecologists (Stri Roga & Prasuti Tantragraha), pharmaceutical experts, researchers and profound scholars in various fields of specialization of Ayurveda.
4. **Specialties in which Post-graduate degree can be conducted:**- The post-graduate degrees may be allowed in the following specialties:-

S.No.	Name of Specialty	Nearest terminology of modern subject	Department in which PG degree can be conducted
1	Ayurved Samhita & Siddhant	Ayurved Samhita & Basic principles of Ayurveda	Samhita & Basic Principles of Ayurved
2	Rachna Sharir	Anatomy	Rachna Sharira
3	Kriya Sharir	Physiology	Kriya Sharira
4	Dravyaguna Vigyana	Materia Medica & Pharmacology	Dravyaguna
5	Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana	Ayurveda Pharmaceuticals	Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpana
6	Prasuti & Stri Roga	Obstetrics & Gynecology	Stri Roga & Prasuti
7	Kaumarbhritya -Bala Roga	Pediatrics	Kaumarbhritya -Bala Roga
8	Swasthavritta & Yoga	Preventive Social Medicine and Yoga	Swasthavritta
9	Kayachikitsa	Medicine	Kayachikitsa
10	Rasayan & Vajikaran	Rasayan Vajikaran	Kayachikitsa
11	Manovigyana avum manas Roga	Psychiatric	Kayachikitsa
12	Rog Nidan avum Vikriti Vigyan	Pathology & Diagnostic Procedure	Rog Nidan avum Vikriti Vigyan
13	Chhaya avum Vikiran Vigyan	Imaging and Radio diagnosis	Rog Nidan avum Vikriti Vigyan
14	Shalya - Samanya	General Surgery	Shalya
15	Shalya - kshar Karma avum Anushastra Karma	Surgery in kshar Karma and Para surgical measures	Shalya
16	Sangyahanana	Anaesthesiology	Shalya
17	Asthi Sandhi & Marmagat Roga	Orthopedics	Shalya
18	Netra Roga	Ophthalmology	Shalakyas
19	Karna, Nasa, Kantha & Shiro	ENT & Head	Shalakyas

897 GI/12-3

	Roga		
20	Danta avum Mukha Roga	Dentistry and Oral disease	Shalakya
21	Panchakarma	Panchakarma	Panchakarma
22	Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka	Toxicology & Forensic Medicine	Agad Tantra

5. The nomenclature of post-graduate degree in respective specialties shall be as follows:-

S.No.	Name of Specialty	Abbreviation
1	Ayurveda Vachaspati - Ayurveda Samhita & Sidhanta	M.D.-Ayurveda Samhita & Basic Principles of Ayurveda
2	Ayurveda Vachaspati - Rachna Sharir	M.D.-Ayurveda (Anatomy)
3	Ayurveda Vachaspati - Kriya Sharir	M.D.-Ayurveda (Physiology)
4	Ayurveda Vachaspati - Dravya Guna Vigyana	M.D.-Ayurveda Materia Medica & Pharmacology
5	Ayurveda Vachaspati - Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana	M.D.-Ayurved Pharmaceuticals
6	Ayurveda Dhanvantri - Prasuti avum Stri Roga	M.S.-Ayurveda Gynecology & Obstetrics
7	Ayurveda Vachaspati - Kaumarbhritya - Bala Roga	M.D.-Ayurveda Pediatrics
8	Ayurveda Vachaspati - Kayachikitsa	M.D.-Ayurveda Medicine
9	Ayurveda Vachaspati - Swastha Vritta & yoga	M.D.-Ayurveda Preventive, Social Medicine & Yoga
10	Ayurveda Vachaspati - Rog Nidan avum Vikriti Vigyana	M.D.-Ayurveda Pathology & Diagnostic procedure
11	Ayurveda Dhanvantri - Shalya - Samanya,	M.S.-Ayurveda General Surgery
12	Ayurveda Dhanvantri - Kshar Karma avum Anushastra karma	M.S.-Ayurveda Surgery in Kshar Karma & Para Surgical Measures
13	Ayurveda Dhanvantri - Shalakya - Netra Roga	M.S.-Ayurveda Ophthalmology
14	Ayurveda Dhanvantri - Shalakya: Shiro -Nasa Karna avum Kantha Roga	M.S.-Ayurveda ENT & Head
15	Ayurveda Dhanvantri - Shalakya Danta avum Mukha Roga	M.S.-Ayurveda Dentistry and Oral disease
16	Ayurveda Vachaspati - Mano Vigyan avum Manas Roga	M.D.-Ayurveda (Psychiatry)
17	Ayurveda Vachaspati - Panchkarma	M.D.-Ayurveda Panchkarma
18	Ayurveda Vachaspati - Agad Tantra avum Vidhi vaidyaka,	M.D.-Ayurveda Toxicology & Forensic Medicine
19	Ayurveda Vachaspati - Sangyahaarana	M.D.-Ayurveda Anesthesiology
20	Ayurveda Vachaspati - Chhaya avum Vikiran Vigyan,	M.D.-Ayurveda Imaging and Radio diagnose
21	Ayurveda Dhanvantri -Asthi Sandhi & Marmagat Roga	M.S.-Ayurveda Orthopedics and Marma
22	Ayurveda Vachaspati - Rasayan & Vajikaran	M.D.-Ayurveda Rasayan & Vajikaran

*The PG degree holder in the old nomenclature will be appointed in concerned department like holder of Kriya Sharir (Dosha Dhatu Malvigyan) in the department of Kriya Sharir and PG holder of Kriya Sharir will be appointed on the basis of teaching experience in Kriya Sharir or Rachna Sharir. Similarly holder of PG of newly developed specialty will be considered for appointment in their basic department mentioned under provision '4' of the Regulations.

6. Mode of Admission:-

- (1) A person possessing the degree in Ayurved of a University or Board or medical institution specified in the Second Schedule to the Act Shall be eligible for admission in the post-graduate degree course.
- (2) The University or any other committee to be constituted by Government concerned shall conduct the admission process.

- (3) Selection of candidates shall be made strictly on the basis of final merit index calculated out of total of 100 Marks based on written test.
- (4) The written test of 100 Marks shall consist of one common written test of MCQ.
- (5) The minimum eligibility marks of the entrance test for admission in the case of general candidates shall be fifty percent of the total marks and in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Regular Government service candidate shall be forty per cent.
- (6) The sponsored candidates shall also be required to possess the percentage of marks specified sub-regulations (5) except foreign nationals.
- (7) Reservation for all categories shall be applicable as per State Government/Central Government policy.
- (8) Change of subject shall be permissible within a period of two months from the date of admission, subject to availability of vacancy and guide in the concerned Department.

7. Period of Study and attendance:-

- (1) The student shall have to undergo a study for a period of three years after the admission.
- (2) The student shall have to attend at least seventy five per cent of total lectures, practicals and clinical tutorials or classes to become eligible for appearing in the examination.
- (3) The students shall have to attend the hospital and other duties as may be assigned to them during the course of study.
- (4) The students of clinical subject shall have to do Resident duties in their respective departments and student of non clinical subject shall have duties in their respective departments like Pharmacy, Herbal Garden, Laboratory during entire period.
- (5) The students shall have to attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as may be arranged by the teaching departments.

8. Method of training:-

- (1) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective specialty.
- (2) The emphasis shall be given on intensive applied and hand on training.
- (3) The students shall have to acquire the knowledge about the methods and techniques of research in the respective fields making use of Information Technology.
- (4) In clinical subjects the students shall undertake responsibility in management and treatment of patients independently and deal with emergencies.
- (5) The student shall have to undertake training in teaching technology and research methods and shall have to participate in the teaching and training programs of Under-Graduate students or interns in the respective subjects during the course of studies.
- (6) In the first year of the course, the students shall have to acquire knowledge in the applied aspects of the fundamentals of Ayurved.

- (7) In the clinical training the student shall have to acquire the knowledge of independent work as a specialist.
- (8) In the specialties of Shalya, Shalakyia and Prasuti & Stri Roga the student shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedures and management in the respective specialty.

9. Dissertation:-

- (1) The title of the dissertation alongwith the synopsis, with approval of the ethics Committee constituted by the institute as per Regulations of concerned University, shall be submitted to the University within a period of six months from the date of admission to PG course.
- (2) If the student fails to submit the title of dissertation and synopsis within the period specified under sub regulation (1) his terms for final PG course will be extended for six months or more in accordance with the time of submission of the synopsis to the University.
- (3) The synopsis of the proposed scheme of work should indicate the familiarity of the student with the proposed theme of work, the name of the department and the name and designation of the guide or supervisor and co-guide, if any. The University should approve the synopsis not later than three months after submission of the synopsis.
- (4) For approving the title a scrutiny Committee shall be constituted by the University.
- (5) The University should display the approved synopsis of dissertation on their website.
- (6) The subject of every dissertation shall be research, practical oriented, innovative and helpful in the development of Ayurveda. The subject of the dissertation shall have relation with the subject matter of the specialty.
- (7) Once the title for dissertation is approved by the Scrutiny Committee of the University, the student shall not be allowed to change the title of the proposed theme of work without permission of the University.
- (8) No student shall be allowed to submit the dissertation before six months of final year. However, the student shall continue his or her regular study in the institution after submission of dissertation to complete three years.
- (9) The dissertation shall contain the methods and data of the research carried out by the student on the problem selected by him and completed under the guidance of the teacher approved by the University.
- (10) The dissertation shall consist critical review of literature, methodology, results of the research, discussion on the basis of research findings of the study summary conclusion, and references cited in the dissertation should be suitable for publication.
- (11) The dissertation shall consist of not less than forty thousand words.
- (12) The dissertation shall contain, at the end, a summary of not more than one thousand five hundred words and the conclusion not exceeding one thousand words.

- (13) The guide or supervisor shall be a person of status of a Professor or Reader/Associate Professor, Lecturer/ Assistant Professor with five years University approved teaching experience in the subject or three years as Co-Guide.
- (14) Five copies of the bound dissertation along with a certificate from the supervisor or guide should reach the office of the Registrar of the University four months before the final examination.
- (15) The dissertation shall be assessed by two external and one internal examiners appointed by the University.
- (16) The dissertation shall be accepted only after the approval of examiners appointed under sub-regulation (17) and in case of disapproval by one external examiner, the dissertation shall be referred to third examiner.
- (17) If the dissertation is not accepted by two external examiner, the same shall be returned to the student with the remarks of the examiners and the student can resubmit the dissertation after making necessary improvement in the light of examiners' report to the University within a further period of six months.
- (18) The student shall be permitted to appear in the final examination of Post-graduate degree course only after examiners appointed for the purpose have approved the dissertation.

10. Examination and assessment:-

- (1) The Post-Graduate degree Course shall have two examinations in the following manner:-
 - (a) The preliminary examination shall be conducted at the end of one academic year after admission;
 - (b) The final examination shall be conducted on completion of three academic years after the admission to PG Course;
 - (c) Examination shall ordinarily be held in the month of June or July and November or December every year;
 - (d) For being declared successful in the examination, student shall have to pass all the subjects separately in preliminary examination;
 - (e) The student shall obtain minimum 50% marks in Practical and theory subjects separately to be announced as pass.
 - (f) If a student fails in preliminary examination, he/she shall have to pass before appearing in the final Examination;
 - (g) If the student fails in theory or practical in the final examination he/she can appear in the subsequent examination without requiring to submit a fresh dissertation; and
 - (h) The post-graduate degree shall be conferred after the dissertation is accepted and the student passes the final examination.
- (2) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the specialty and his/her fitness to work independently as a specialist.
- (3) The clinical examination shall aim at a careful assessment of the competence of the student, so that his/her familiarity with Ayurved and scientific literature in the specialty could be Judged.

897 GI/12-4

- (4) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of subject/speciality.

11. Subjects of examination:-

- (1) The preliminary examination at the end of one academic year after admission shall be conducted in the following subjects:-

Paper I

Part A- Research Methodology

Part B- Bio/Medical Statistics

Paper II-

Part A- Applied aspects of fundamentals regarding concerned subjects.

Part B- Concerned subject

- (2) The student shall have to undergo training in the department concerned and shall maintain month-wise record of the work done during the last two years of study in the specialty opted by him/her as under:-

- i. Study of literature related to specialty.
- ii. Regular clinical training in the hospital for student of clinical subject.
- iii. Practical training of research work carried out in the department, for student of non clinical subject.
- iv. Active participation in various seminars, symposia and discussions,
- v. Finalization of topic of dissertation and synopsis,
- vi. The assessment of the work done during the first year on the above points shall be done at the time of preliminary examination;

- (3) The final examination (a) dissertation; (b) written papers; and (c) clinical/practical and oral examination, as the case may be.
- (4) There shall be four theory papers in each specialty and one practical or clinical and viva-voce examination in the concerned specialty or group of sub-specialties selected by the student for special study.
- (5) The student shall have to publish/accepted at least one Research paper on the basis of his research work in one Journals based on his dissertation and one paper presentation in Regional level Seminar.

12. Appointment of examiner:-

The preliminary examination and final examination will be held in practical, clinical and oral examination. The final examination shall be conducted by a team of 2 Examiners (Retired or Serving) out of which one should be external. The examiners should be minimum of Reader Level or should have minimum 8 years PG teaching experience.

13. Minimum requirement for post-graduate teaching centre:-

- (1) The post-graduate education centre shall satisfy the entire minimum requirements of under-graduate training as prescribed by the Council.
- (2) Facilities regarding training in basic sciences of Ayurveda and other supporting subjects as specified by the Council shall be provided by the Centre.
- (3) All the facilities of ancillary departments shall be made available by the Centre.
- (4) The Centre shall have adequate equipment and research facilities required for training in the related specialty and subject.
- (5) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Professor/Reader and one Lecturer of concerned subject, in addition

to the teachers stipulated for under-graduate teaching. The specialty, which does not exist as independent department at UG level shall have minimum one Professor/Reader and one lecturer for starting PG.

- (6) The Centre shall have a fully equipped hospital consisting of at least one hundred beds with specialty-wise adequate facilities in all departments.

The PG subject in non-clinical subject shall be admissible on the basis of Bed strength as specified for UG Norms. But for PG in clinical subjects additional beds in the student : bed ratio of 1:4 shall be provided.

- (7) The annual average bed-occupancy in the hospital shall be more than 50%.
 (8) In clinical departments one Registrar or Senior Resident shall be appointed for every twenty beds.
 (9) Any UG Institution which has not completed minimum 4½/5 years of UG teaching shall not be eligible for applying for PG permission.

14. Facilities for post-graduate students:- The stipend and contingency shall be provided at the rates prevailing in the State for other medical post-graduate students.

15. Guide Students ratio :- The teacher student ratio shall be such that the number of post-graduate teachers to the number of post-graduate students admitted per year is maintained at 1:3 in case of Professor 1:2 in case of Reader and 1:1 in case of lecturer having minimum 5 years experience. The maximum number of students per year per specialty shall not exceed six and this provision shall not be applicable to the existing PG seats.

16. Medium of instructions – Hindi, Sanskrit or English.

PR SHARMA, Registrar-Cum-Secy.
 [ADVT III/4/124/11/Exty.]

Govt. of India has conveyed the sanctioned vide letter No. V.12014/28/2011-EP(IM-2) dated 22.02.2012.
